न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 111/2016

1. कैलाश
2. श्याम
3. सन्तोष } पि0 चिरंजी, जाति चौबदार, निवासी मांचडी तहसील टोडाभीम, जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. काडू
2. रमेश } पि0 मोहनदास, जाति बैरागी, निवासी मांचडी तहसील टोडाभीम, जिला करौली

रेस्पोर्टेडान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय सहायक कलेक्टर हिण्डौन सिटी मु0न0 23/1983, निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.1984)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की ओर से श्री हेमेन्द्र कुमार शर्मा
2. रेस्पोडेंटान की ओर से श्री राधारमण शर्मा

निर्णय

दिनांक 21.10.2020

1. अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हिण्डौन सिटी के मु0न0 23/1983 निर्णय व डिग्री दिनांक 16.02.1984 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी की ओर से दावा बाबत घोषणा खातेदारी दखलयावी व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 209/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम में स्थित है जो वादी मूर्ति श्री सीताराम जी के नाम ममलूका मकबूजा कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। मूर्ति श्री सीताराम जी बिराजमान मन्दिर ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम में स्थित है, जिसका पुजारी ऐहतमाम मोहनदास पुत्र नारायण दास जाति बैरागी निवासी मांचडी है जो सदैव से उक्त मंदिर की सेवा पूजा व प्रबन्ध करता चला आ रहा है और उक्त मन्दिर का ऐहतामाम पुजारी है। प्रतिवादी निहायत ही चालाक रिसोर्सफुल व्यक्ति है अपनी चालाकी से पटवार हल्का से साज कर अत्यन्त गोपनीय तरीके से चुपचाप आराजी खसरा नं0 209/1 की खातेदारी अपने नाम करा ली जबकि किसी प्रतिवादीगण को परपीच्यूल माईनर की कृषि भूमि में किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार के इन्द्राज से वादी मूर्ति के कानूनी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है उसके अधिकारों का हनन होता है। प्रतिवादीगण का कब्जा कतई अवैध एवं खिलाफ कानून है। वादी मूर्ति श्री सीताराम जी की ओर से एहतमाम पुजारी द्वारा कब्जा ... माह जनवरी 1983 प्रतिवादीगण को कहा तो टालम टोल करते रहे। अन्त में दिनांक 30.01.83 को भूमि खाली कर कब्जा वादी को सम्भलाने से साफ इंकार कर दिया, राजीखुशी कब्जा लौटाने को तैयार नही है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति है। प्रतिवादीगण अवैध रूप से कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:09:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बनाये हुए है। दखल वादी दिलाया जाकर लगान का 15 गुना पैनेल्टी हर्जा स्वयं वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी विवादित आराजीयात की मंदिर के हक में खातेदारी की घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करा कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है।

2 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष अभिभाषकों द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं बहस सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें तर्क दिया कि डिक्री व निर्णय अदालत मातहत रूहेदाद मिशल खिलाफ कानून होने के कारण लायके मंसूखी है। रेस्पोडेन्ट के पिता मोहनदास द्वारा अपने आप को मूर्ति श्री सीतारामजी विराजमान मंदिर ग्राम माचडी जरिये ऐहतमाम पुजारी बताकर उक्त आराजी ख0नं0 209/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा ग्राम मांचडी के बाबत अपीलांटस/प्रतिवादी के खिलाफ एक मुकदमा उनवानी मूर्ति श्री सीतारामजी बनाम मांगीलाल मु0नं0 23/83 न्यायालय ए.सी.एम. हिण्डौन में घोषणा खातेदारी व दखल प्रस्तुत कर फर्जी तथा गोपनीय तरीके से सरकारी कर्मचारियों से साज कर के दिनांक 27.04.1983 को एकतरफा कार्यवाही करवाकर एकतरफा डिक्री करवा ली है, जिसका प्रतिवादी/अपीलांटस को कभी इल्म नहीं होने दिया तथा एकतरफा में दिनांक 16.02.1984 को डिक्री व आदेश पारित करवा लिया जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है, तथा एकतरफा डिक्री के आधार पर उक्त आराजी वर्तमान में श्री सीतारामजी के नाम दर्ज है उक्त आराजी से अपीलांटस/प्रतिवादी को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है तथा आज भी अपीलांटस उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील है तथा डिक्री इन फैक्चस हो गयी है। अपीलांटस/प्रतिवादीगण की उक्त मुकदमा की कभी भी कोई इल्म नहीं होने दिया और ना ही आज तक अपीलांटस उक्त आराजी से बेदखल हुआ आज भी अपीलांटस उक्त आराजी पर काबिज है एवं काश्त कर रहा है। उक्त आराजी कभी भी मूर्ति के नाम नहीं रही है रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा उक्त आराजी की खातेदारी होने के बाद अपीलांटस/प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा संभला दिया था तथा उक्त आराजी का नामान्तरकरण सं0 44 दिनांक 15.07.1970 भी अपीलांटस के नाम खुल चुका है तथा खातेदारी में आ चुका है जो संवत् 2032–2035 में भली प्रकार दर्ज है। ऐसी परस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:09:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रजिस्टरी को केन्सिल करे, वादी/रेस्पो0 को कोई रिलीफ प्रदान नहीं कर सकता एवं रजिस्टरी विक्रय पत्र को केन्शिल करने का वैधानिक अधिकार भी सिविल कोर्ट को है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री स्वमेय अवैधानिक होने के फलस्वरूप शून्य प्रभावी है। रेसपोडेन्ट द्वारा अपीलांटस के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमा उक्त आराजी के बाबत पेश कर रखे है, जिनमें एक परिवाद लोकायुक्त के यहॉं उप जिला कलक्टर, टोडाभीम के यहॉं आया। जिसमें उक्त आराजी व अन्य आराजी के बाबत जानकारी चाही। जिस पर प्रार्थी को दिनांक 30.08. 2016 को उक्त मुकदमें की छानबीन कर रिकार्ड रूम में आकर प्रार्थना पत्र पेश किया तथा नकल ली तब जाकर सम्पूर्ण मामले की जानकारी हो सकी है। इससे पूर्व अपीलांटस को कभी भी मुकदमें का इल्म नहीं हुआ है। इसलिये दिनांक 16.02.1984 से आज तक डिले कन्डोन फरमाया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जाये।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 209/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम के नाम है और इसी प्रकार से कागजात लैण्ड रिकार्डस के खाना खातेदारी में इन्द्राज है। मूर्ति श्री सीताराम जी बिराजमान मन्दिर ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम में स्थित है, जिसका पुजारी ऐहतमान मोहनदास पुत्र नारायण दास जाति बैरागी निवासी मांचडी है जो सदैव से उक्त मंदिर की सेवा पूजा व प्रबन्ध करता चला आ रहा है और उक्त मन्दिर का ऐहतमाम पुजारी है। यह आराजी वादी की ममलूका मकबूजा है। प्रतिवादी निहायत ही चालाक रिसोर्सफुल व्यक्ति है अपनी चालाकी से पटवार हल्का से साज कर अत्यन्त गोपनीय तरीके से चुपचाप आराजी खसरा नं0 209/1 की खातेदारी अपने नाम करा ली जबकि किसी प्रतिवादीगण को परपीच्यूल माईनर की कृषि भूमि में किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार के इन्द्राज से वादी मूर्ति के कानूनी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है और उसके अधिकारों का हनन होता है प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त अवैध एवं खिलाफ कानून है। माननीय उच्च न्यायालय बैन्च जयपुर ने अपने आदेश तारीखी 17.10.2019 एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं0 16266/2018 के पेज नं0 6 व 7 पर माननीय न्यायालय को अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को पहले निस्तारण करने का आदेश पारित करने की स्थिति में ही माननीय अपीलेट कोर्ट को उनवानी अपील को मैरिट पर सुनवाई का आदेश फरमाया है। लिमिटेशन एक्ट 1963 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी दावा, प्रार्थना पत्र, अपील उसके लिए विहित समय के बाद पेश किये जाने पर खारिज कर दिया जावेगा। चाहे मियाद को बचाव के रूप में नहीं रखा गया हो। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय ए.सी.एम. हिण्डौन द्वारा मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी के हक में जारी डिक्री व निर्णय तारीखी 16.02.1984 की अपील सन 2016 में की है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:09:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आवेदन दफा 5 लिलिटेशन एक्ट में यह बताया है कि उसे उक्त मुकदमें की जानकारी दिनांक 30.08.2016 को हुई है, इससे पूर्व उसे इस मुकदमें की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की आर्डर शीट तारीख दिनांक 27.04.1983 का अवलोकन करना आवश्यक है। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रतिवादीगण उपस्थित है। सम्मन बाद तामील हो चुका है। इसके बाद दिनांक 19.05.83 की आर्डर शीट के अनुसार प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील माननीय न्यायालय में प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने फरमाये थे। तत्पश्चात दिनांक 16.02.1984 को बहस सुन कर मुकदमें का निर्णय नियमानुसार खुले न्यायालय में सुनाया जाकर डिकी किया गया। उक्त आर्डरशीट के अवलोकन से बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को उक्त निर्णयव डिकी की बखूबी जानकारी रही है। अपीलार्थी ने उक्त अपील मूर्ति मंदिर ठाकुर श्री सीताराम जी के हक में हुई डिकी तारीखी 16.02.1984 के विरूद्ध पेश की है। मूर्ति मंदिर ठाकुर श्री सीताराम जी मांचडी परपीच्युल माईनर है जो कि मुकदमा हाजा में एक आवश्यक पक्षकार है। जिन्हे अपीलार्थीगण ने बदयान्तिपूर्वक पक्षकार नहीं बनाया है। इस आधार पर भी अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जीग्राम मांचडी जरिये मोहनदास जो कि रेस्पो0 1 के पिता थे के हक में माननीय न्यायालय श्रीमान ए.सी.एम. हिण्डौन सिटी द्वारा दिनांक 16.02.1984 को डिकी जारी करने के बाद उक्त डिक्री की अनुपालना में मौके पर कब्जा श्री मोहनदास को दिनांक 26.04.1984 को दिलाया गया था, तभी से रेस्पो0 नं0 1 काडूराम अपने पिता श्री मोहनदास के समय से ही मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी की उक्त आराजीयातपर मौके पर काबिज एवं दखील है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया जिससे यह तथ्य सामने आये कि न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हिण्डौन सिटी में दावा बावत घोषणा खातेदारी दखलयावी व हुक्म इम्तनाई दवामी पेश किया। आदेशिका दिनांक 27.04.1983 में लिखा गया कि वादी वकील उपस्थित, प्रतिवादी चिरंजी का सम्मन बाद तामील शामिल हो चुका है, उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी मांगी लाल का सम्मन तामील शामिल नहीं हुआ है, दिनांक 19.05.83 को उनके विरुद्ध एकतरफा आदेश दिये गये। न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हिण्डौन सिटी में दावा बाबत घोषणा खातेदारी दखलयावी व हुक्म इम्तनाई दवामी निर्णय दिनांक 16.02.1984 को किया। न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हिण्डौन सिटी के मु0न0 23/1983 निर्णय व डिग्री दिनांक 16.02.1984 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में 28.09.2016 को अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:09:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है। परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा–5 में अभिलिखित है कि "कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हैतुक था" अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिसीमन अधिनियम धारा 5 में कथन किया है कि "रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के खिलाफ कई अपराधिक मुकदमा उक्त आराजी बाबत पेश कर रखे है। जिनमें एक परिवाद लोकायुक्त के यहॉं से उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के यहॉं आया। जिसमें उक्त आराजी व अन्य आराजी बाबत जानकारी चाही। जिस पर प्रार्थी को दिनांक 30.08.2016 को उक्त मुकदमें की जानकारी प्राप्त हुई है" पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा रिपोर्ट दिनांक 26.04.84 के अनुसार पटवारी हल्का व ग्राम वासियान के सामने चिरंजी को बुलवाया गया, परन्तु उसने आने से इन्कार कर दिया मौके पर फसल कट चुकी है। आराजी ख0नं0 209/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा पर से चिरंजी को बेदखल कर मौके पर मोहनदास को कब्जा दिया गया, इस कब्जे बावत मजमे आम में ऐलान कराया गया। यह रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि दिनांक 16.02.1984 के निर्णय की जानकारी अपीलांट के पिता को थी। अपीलार्थी का यह कथन है कि उसे दिनांक 30.08.16 को मुकदमें की जानकारी प्राप्त हुई है। किसी भी दृष्टिकोण से मानने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा दर्शित हेतु समयावधि में छूट प्रदान करने के लिए नितान्त अपर्याप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 228 में अपील के लिए समयावधि निर्धारित की गयी है। उक्त अधिनियम में राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील की डिक्री जारी करने के दिनांक से 02 माह तक की अवधि में की जा सकती है। विवेचनानुसार अपीलार्थी के संज्ञान में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में भलीभांति होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिसीमन अधिनियम, 1963 धारा 5 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6 अतः आदेश है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिसीमन अधिनियम, 1963 धारा–5 अस्वीकार किया जाता है। इसके फलस्वरूप [illegible] अपीलांट खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:09:14 IST
Reason: SelfAttested

(बी. एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner